

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : -28/2022 (2022/89

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.भीयाराम पुत्र जोधाराम 2.जवानराम पुत्र जोधाराम 3.ओमाराम पुत्र रावतराम 4.ढलाराम पुत्र रावतराम 5.मोडाराम पुत्र छेलाराम के कायम मुकाम:- 5/1 सुआदेवी पत्नी मोडाराम 5/2 हडमानराम पुत्र मोडाराम 5/3 चेनाराम पुत्र मोडाराम 5/4 बेबीदेवी पुत्री मोडाराम 5/5 चम्पादेवी पुत्री मोडाराम 5/6 उगलीदेवी पुत्री मोडाराम 5/7 पॉचीदेवी पुत्री मोडाराम 5/8 सुगड़ीदेवी पुत्री मोडाराम 6.भलाराम पुत्र छेलाराम सभी जातियान जाट निवासीगण भाण्डुकंला तहसील लूणी (वर्तमान झंवर) जिला जोधपुर।		1.ढलाराम पुत्र खीयाराम 2.मंगलाराम पुत्र खीयाराम 3.पूनाराम पुत्र खीयाराम 4.शेराराम पुत्र खीयाराम 5.लूणीदेवी पुत्री खीयाराम 6.कमलीदेवी पुत्री खीयाराम 7.झमू पत्नी खीयाराम 8.साऊदेवी पुत्री जोधाराम 9.जेठी देवी पुत्री जोधाराम 10.पचकी पुत्री रावतराम 11.पदमाराम पुत्र रावतराम 12.इन्द्रा पुत्री रावतराम 13.हवली पुत्री रावतराम सभी जातियान जाट निवासीगण भाण्डुकंला तहसील लूणी (वर्तमान झंवर) जिला जोधपुर। 14.तहसीलदार लूणी (वर्तमान झंवर)।

वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 13 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 14 सरकारी पैराकार।

दिनांक:- 10.03.2026

:- : निर्णय :-

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 13 की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि ग्राम भाण्डुकंला तहसील झंवर के खसरा नम्बर 274 रकबा 1.6430 हैक्टर, खसरा नम्बर 277 रकबा 1.7806 हैक्टर, खसरा नम्बर 280 रकबा 1.5297 हैक्टर खसरा नम्बर 293 रकबा 2.0963 हैक्टर खसरा नम्बर 298 रकबा 3.4479 हैक्टर कुल खसरा 5 कुल रकबा 10.4975 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.05.2024 को जारी की गई एवं तहसीलदार झंवर को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक/कोर्ट/ 2025/308 दिनांक 28.10.2025 को पेश किया गया। वादीगण का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 25.09.2025 से स्पष्ट) है। जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 13 के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
	1. भीयाराम पुत्र जोधाराम हिस्सा 1/5	274/1	0.32860	बारानी द्वितीय	
	2. जवानराम पुत्र जोधाराम हिस्सा 1/5	277/1	0.35612	बारानी द्वितीय	
	3. जेठीदेवी पुत्री जोधाराम हिस्सा 1/5	293/1	0.41926	बारानी द्वितीय	
	4. पचकीदेवी पुत्री जोधाराम हिस्सा 1/5	298/1	0.68958	बारानी द्वितीय	
	5. साऊदेवी पुत्री जोधाराम हिस्सा 1/5	280/1	0.05723	बारानी द्वितीय	
	कौम जाट सा.देह खातेदार	280/2	0.02051	बारानी द्वितीय	
		280/3	0.22820	बारानी द्वितीय	
		07	2.09953	बारानी द्वितीय	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कं. स.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
	1. उगलीदेवी पुत्री मोडाराम हिस्सा 1/32	274	1.31440	बारानी द्वितीय	
	2. गोमती पुत्री मोडाराम हिस्सा 1/32	277	1.42448	बारानी द्वितीय	
	3. चैनाराम पुत्र मोडाराम हिस्सा 1/32	293	1.67704	बारानी द्वितीय	
	4. पाचीदेवी पुत्री मोडाराम हिस्सा 1/32	298	2.75832	बारानी द्वितीय	
	5. चम्पादेवी पुत्री मोडाराम हिस्सा 1/32	280	1.22376	बारानी द्वितीय	
	6. बेवीदेवी पुत्री मोडाराम हिस्सा 1/32				
	7. साआ पत्नि मोडाराम हिस्सा 1/32				
	8. हडमानराम पुत्र मोडाराम हिस्सा 1/32				
	9. इन्द्रा पुत्री रावतराम हिस्सा 1/20				
	10. ओमाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/20				
	11. ढलाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/20				
	12. प्दमाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/20				
	13. हवलीदेवी पत्नि रावतराम हिस्सा 1/20				
	14. भलाराम पुत्र छेलाराम हिस्सा 1/4				
	15. कमलीदेवी पुत्री खीयाराम हिस्सा 1/28				
	16. झमु पत्नि खीयाराम हिस्सा 1/28				
	17. ढलाराम पुत्र पुत्र खीयाराम हिस्सा 1/28				
	18. पूनाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 1/28				
	19. मंगलाराम पुत्र खीयाराम हिस्सा 1/28				
	20. लूणी देवी पुत्री खीयाराम हिस्सा 1/28				
	21. शेराराम पुत्र खीयाराम हिस्सा 1/28				
	कौम जाट सा देह खातेदार				
		05	8.3980	बारानी द्वितीय	

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश :: —

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 24.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 24.10.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


 (हँसमुख कुमार)
 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी लूणी

डिकी बमुकदमें दबतदाई

ओर्डर 21 रूल 6,-7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

वादा संख्या :-28/2022 (2022/89)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भीयाराम पुत्र जोधाराम 2. जवानराम पुत्र जोधाराम 3. ओमाराम पुत्र रावतराम 4. ढलाराम पुत्र रावतराम 5. मोडाराम पुत्र छेलाराम के कायम मुकाम:- 5/1 सुआदेवी पत्नी मोडाराम 5/2 हडमानराम पुत्र मोडाराम 5/3 चेनाराम पुत्र मोडाराम 5/4 बेबीदेवी पुत्री मोडाराम 5/5 चम्पादेवी पुत्री मोडाराम 5/6 उगलीदेवी पुत्री मोडाराम 5/7 पौंचीदेवी पुत्री मोडाराम 5/8 सुगड़ीदेवी पुत्री मोडाराम 6. भलाराम पुत्र छेलाराम सभी जातियान जाट निवासीगण भाण्डुकंला तहसील लूणी (वर्तमान झंवर) जिला जोधपुर।		1. ढलाराम पुत्र खीयाराम 2. मंगलाराम पुत्र खीयाराम 3. पूनाराम पुत्र खीयाराम 4. शेराराम पुत्र खीयाराम 5. लूणीदेवी पुत्री खीयाराम 6. कमलीदेवी पुत्री खीयाराम 7. झमू पत्नी खीयाराम 8. साऊदेवी पुत्री जोधाराम 9. जेठी देवी पुत्री जोधाराम 10. पचकी पुत्री रावतराम 11. पदमाराम पुत्र रावतराम 12. इन्द्रा पुत्री रावतराम 13. हवली पुत्री रावतराम सभी जातियान जाट निवासीगण भाण्डुकंला तहसील लूणी (वर्तमान झंवर) जिला जोधपुर। 14. तहसीलदार लूणी (वर्तमान झंवर)।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरु हमारे बहाजरी वादीगण मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें।

निज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करे।

बसीबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10.03.26 जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी